F.No. 2(70)/2008-DPE (WC) GL-VII/2011
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises
……

Public Enterprises Bhawan
Block 14, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110003
Dated: 13th April, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Board level and below Board level posts including non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.2007 – Payment of IDA at revised rates-regarding.

In modification of this Department's O.M. of even number dated 17.01.2011, the rate of DA payable to the executives and non-unionised supervisors of CPSEs may be as follows:

Effective Date	Average of AICPI	Revised DA rates (%)
01.04.2011	186	47.2%

2. The above rates of DA would be applicable in the case of IDA employees who have been allowed revised pay scales (2007) as per DPE O.Ms. dated 26.11.2008, 09.02.2009 & 02.04.2009.

3. All administrative Ministries/ Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for action at their end.

(P.J. Michael)
Under Secretary

To

All the administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:
1. Chief Executive of Central Public Sector Enterprises.
2. Financial Advisers in the Administrative Ministries/ Departments.
3. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi
4. The Comptroller & Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhayay Marg, New Delhi
5. NIC, DPE with the request to upload this OM on to the DPE website.

संख्या 2(70)/2008-लोउवि(मजूरी कक्ष) जी एल-VII-2011

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक: 13 अप्रैल, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2007 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान।

इस विभाग के दिनांक 17.01.2011 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का आशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों में निम्नप्रकारेण संशोधन कर दिया जाए:

प्रभावी तिथि	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत	संशोधित महंगाई भत्ते की दर (प्रतिशत)
01.04.2011	186	47.2%

2. ये दरें औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 तथा 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित वेतनमान (2007) की स्वीकृति दी गई है ।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में ला दें ।

(पी. जे. माईकल)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वितीय सलाहकार ।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए ।